बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02 वि01 05/2011 5435 / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथा संशोधित 2007 की कंडिका 4(2) एवं 7(2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पटना एवं राज्य के जिला उपभोक्ता फोरमों का कार्यदिवस एवं कार्यकाल निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता है :--

1. राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पटना का कार्य दिवस तथा कार्यकाल राज्य सरकार के कार्यालयों (सचिवालयों एवं संलग्न कार्यालयों) के कार्यदिवस एवं कार्यकाल के समरूप यानि 09.30 पूर्वा0 से 06.00 अप0 निर्धारित किया जाता है।
2. जिला उपभोक्ता फोरमों का कार्यदिवस एवं कार्यकाल राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यदिवस एवं कार्यकाल के समरूप यानि 10.00 पूर्वा0 से 05.00 अप0 निर्धारित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकाल के समरूप होगा।
3. सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 05/2011 5435 /खाद्य, पटना, दिनांक -26/8/2013

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 वि01 05/2011 5435 /खाद्य, पटना, दिनांक 26/8/2013

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, आर0 ब्लॉक, पटना/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–सचिव, जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
प्रधान सचिव।

D:/ food supply sec-2 Direc 2013